राजस्थान–सरकार

कार्यालय अध्यक्ष/ प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, विकास समिति, मांगरोल बारां (राज.)

क्रमांक : रा.म.मांगरोल बारां /स्था/2024/9213

दिनांक :13.12.2024

बोली आमंत्रण सूचना

खुली बोली सूचना संख्या 01/2024–25

राजकीय महाविद्यालय, मांगरोल बारां (राज.) में कार्यादेश से एक वर्ष तक के लिए खुली प्रतियोगी बोली के माध्यम से दर अनुबन्ध पर मानव संसाधन (कम्प्यूटर ऑपरेटर, प्रयोगशाला परिचायक , चौकीदार , सफाईकर्मी एवं आवश्यकतानुसार अन्य कार्मिको) की सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु विनिर्दिष्ट पंजीकृत बोलीदाता/संवेदक जो कि राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधी अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, जी.एस.टी., आयकर एक्ट 1956, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हो, से खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदाऐं राजकीय महाविद्यालय, मांगरोल बारां में 23.12.2024 को समय दोपहर 12:00 बजे तक विक्रय की जा कर दिनांक 23.12.2024 को समय दोपहर 1:00 बजे तक जमा करायी जायेगी। तकनीकी निविदा 23.12.2024 को दोपहर 2:00 बजे एवं वित्तिय निविदा दिनांक 23.12.2024 को अपराह्न 2:30बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज राजस्थान राज्य लोक, उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in/ महाविद्यालय वेबपेज पर भी देखा व प्राप्त किया जा सकता है। विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं. सं.	विवरण	अनुमानित लागत	बोली प्रतिभूति राशि (रू)	बोली प्रपत्र शुल्क राशि (रू)	निविदा विक्रय करने की अन्तिम दिनांक व समय	निविदा दस्तावेज जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	निविदा (तकनीकी–वाणिज्यिक) खोलने की दिनांक व समय	निविदा (वित्तिय) खोलने की दिनांक व समय
1	मानव संसाधन (कम्प्यूटर ऑपरेटर, प्रयोगशाला परिचायक , चौकीदार , सफाईकर्मी एवं आवश्यकतानुसार अन्य कार्मिको) की सेवाऍ लेने हेतु	6 लाख	12000/– रूपये	500	23.12.2024 दोपहर 12:00 बजे	23.12.2024 दोपहर 1:00 बजे तक	23.12.2024 दोपहर 2:00 बजे	23.12.2024 अपराह्न 2:30 बजे

1- निविदा प्रपत्र की राशि एवं बोली प्रतिभूति राशि का डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक, राजकीय महाविद्यालय विकास समिति, मांगरोल बारां के नाम पर मांगरोल बारां शाखा पर देय बनाना होगा। जिसे तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिनांक 23.12.2024 को दोपहर 1:00 बजे तक जमा कराना होगा।

2- निविदायें द्विमागीय है अतः तकनीकी निविदा प्रपत्र तथा वित्तिय बोली प्रपत्र अलग–अलग लिफाफे में बन्द कर दोनो लिफाफे पर नामांकन (तकनीकी निविदा प्रपत्र या वितीय निविदा प्रपत्र) कर एक बडे लिफाफे में बन्द कर प्रस्तुत की जायेगी।

3- किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या निविदा प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधोहस्ताक्षरकर्ता का अधिकार सुरक्षित है।

4- अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

5- तकनीकी/ वित्तीय निविदा प्राप्त करने या खोलने की तिथी को अवकाश घोषित हो जाने पर अगले कार्य दिवस को उसी समय पर बोली प्राप्त या खोली जायेगी।

13/12/2024

अध्यक्ष/प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय,विकास समिति मांगरोल बारां

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय, मांगरोल
जिला बारां

क्रमांक : रा.म.मांगरोल बारां /स्था/2024/9213

दिनांक 13.12.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1- श्रीमान् सम्पादक महोदय, दैनिक नवज्योति, बारां संस्करण में दिनांक 14.12.2024 के अखबार में DPR दरों पर न्यूनतम स्थान में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

2- वेबसाईट प्रभारी निविदा प्रपत्रों को महाविद्यालय के वेबपेज https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcmangrol एवं SPPP पॉर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in/ पर अपलोड करें।

3- कैशियर, राजकीय महाविद्यालय,मांगरोल बारां निविदा प्रपत्रों के विक्रय का रिकॉर्ड संधारण करें।

4- स्टोर कीपर, राजकीय महाविद्यालय,मांगरोल भरी हुई निविदाओं कि प्राप्ति, सुरक्षा एवं रिकॉर्ड संधारण करें।

5- लेखाशाखा, राजकीय महाविद्यालय, मांगरोल बारां को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

6- सूचना पट्ट राजकीय महा. मांगरोल
नगरपालिका मांगरोल

अध्यक्ष/प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय, विकास समिति मांगरोल बारां

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय, मांगरोल
जिला बारां

राजस्थान–सरकार

कार्यालय अध्यक्ष/ प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय,विकास समिति, मांगरोल बारां (राज.)

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1- निविदा शुल्क 500/– बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट संख्या....................................... दिनांक .... बैंक.......................

2- बोली प्रतिभूति राशि 12000/– रूपये कें डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या .... दिनांक .... बैंक ....

3- बोलीदाता / संवेदक का नाम ....

4- डाक का पता ....

5- फोन/ मोबाइल नं. ....

6- ई–मेल ....

7- बैंक का नाम ....

IFSC CODE ....

खाता संख्या ....

8- महाविद्यालय से पत्र व्यवहार करने हेतु हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम, पता एवं मोबादल नं. ....
....
....

9- बोली दाता या संवेदक के द्वारा निम्नलिखित आवश्यक पंजीकरण दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न की जावें।

क्रं. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण/लाईसेंस के प्रारम्भ होने की तिथि	पंजीकरण/लाईसेंस के अंत होने की तिथि (वैद्यता अवधि)	संलग्नक क्रमांक
क	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970)					
ख	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952					
ग	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948					
घ	GST (वस्तु एवं सेवा कर)					
ड	आयकर (पैन नम्बर)					
च	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत					

10- सम्बन्धित कार्यक्षेत्र का राजकीय /अर्द्धराजकीय, विभाग/उपक्रम/स्वायत सस्थाएँ/परियोजनाएं/बोर्ड/समिति/आयोग/ राजकीय शिक्षण संस्थान में मानव संसाधन/कार्मिक उपलब्ध कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यआदेश की प्रति।

क्रं. सं.	विभाग / संस्था का नाम	उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन	समयावधि	संबंधित विभाग / संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा अनुभव प्रमाण–पत्र का अंकन एवं प्रति संलग्न
क				
ख				
ग				

11- निविदा प्रपत्र एवं बोली प्रतिभूति का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक राजकीय महाविद्यालय, विकास समिति, मांगरोल बारां के नाम पर जो मांगरोल बारां ब्रांच पर देय हो। यदि निविदा प्रपत्र SPPP Portal से डाउनलोड किया गया है तो निविदा फॉर्म फीस रूपये 500/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक भी दिनांक 23.12.2024 को अपरान्ह 1:00 बजे तक निविदा प्रपत्र के तकनीकी बिड के साथ जमा कराना आवश्यक है।

12- मैं / हम राजकीय महाविद्यालय, मांगरोल बारां द्वारा जारी की गई निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 01/2024–25 दिनांक 13.12.2024 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं

13- निविदा के साथ समस्त अनुलग्नक (ए, बी, सी, डी) हस्ताक्षरित कर संलग्न कर दिये गये है।

14- बोलीदाता (Bidder) के द्वारा निविदा प्रस्तुत किये जाने के समय राजस्थान श्रमिक अनुबंधित अधिनियम एंव श्रमिक अनुबंध नियम, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं GST अधिनियम के अधतन प्रावधानों के अंतर्गत, पंजीकरण करवाना आवश्यक है तो, बोलीदाता द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जायेगा। यदि नियमों के अंतर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं आता है तो तदनुसार वचन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है। सफल बोलीदाता को यह शपथपत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि, निविदा अवधि के दौरान, यदि उसके द्वारा, राज0 श्रमिक अनुबंधित अधिनियम एंव श्रमिक अनुबंध नियम, 1970/संशोधन अधिनियम 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं GST अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हो तो तदनुसार पंजीकरण कराते हुए, प्रमाण पत्र की प्रति, प्राचार्य / अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय, विकास समिति मांगरोल बारां को उपलब्ध करायी जायेगी। (राजस्थान सरकार वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र कमांक एफ(2)(1) एफ0डी0/एसपीएफसी/2017, दिनांक 14.11.2018 के निर्देशानुसार)

दिनांक:

स्थान: बोलीदाता के हस्ताक्षर नाम मय संस्थान सील

Technical Bid Check List

S. No.	Particulars	Enclosed/ Submitted (Yes/ No)	Enclosure No.
1	Registration/License of Bidder in labour Department (राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970)		
2	Registration of Bidder in E.P.F (कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952)		
3	Registration of Bidder in E.S.I (कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948)		
4	PAN Card self attested photo copy of the bidder (पेन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति)		
5	Registration for GST (Goods & Services Tax) of the Bidder (जी. एस.टी. पंजीकरण की प्रति)		
6	Registration of Rajasthan Shops & Commercial Establishments Act 1958 Or Indian Partnership Act 1932, Or Indian Companies Act 1956 (राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनर शिप एक्ट 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीयन)		
7	Bids must be supported by a Bid Security DD/Banker Cheque Of Rs.12000/- प्रत्येक बोली के साथ बोली प्रतिभूति 12000/– कर डीडी / बैंकर चैक संलग्न करना अनिवार्य है।		
8	DD/Banker Cheque for Bid Document Fees Rs. 500/- in Favour राजकीय महाविद्यालय विकास समिति मांगरोल बारां		
9	Experience Certificate(अनुभव प्रमाण पत्र)		
10	Annexure-A,B,C,D (चारों अनुलग्नकों पढकर, समझकर, हस्ताक्षरित कर संलग्न कर दिये है)		
11	फर्म/ प्रतिष्ठान द्वारा शपथ पत्र की किसी भी राजकीय / सार्वजनिक विभाग /उपक्रम की काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में नही किये जाने का घोषणा पत्र		
12	बोली के साथ संलग्न सभी दस्तावेज प्रमानिक है का प्रमाण पत्र/वचन पत्र		

निविदादाता के हस्ताक्षर,
नाम मय संस्थान सील

कायालय अध्यक्ष/प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, विकास समिति, मांगरोल बारां (राज.)

मानव संसाधन उपापन

निविदा प्रपत्र की मुख्य शर्ते :-

1- निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदा प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए तथा शर्तो की स्वीकारोक्ति के रूप में शर्तों के प्रत्येक पेज में अपने हस्ताक्षर करने है।

2- निविदायें तकनीकी निविदा प्रपत्र तथा वित्तिय बोली प्रपत्र अलग-अलग लिफाफे में बन्द कर दोनो लिफाफे पर नामांकन (तकनीकी निविदा प्रपत्र या वितीय निविदा प्रपत्र) कर एक बडे लिफाफे में बन्द कर प्रस्तुत की जायेगी।

3- निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जानी है। लिफाफे पर मानव संसाधन आपूर्ति हेतु निविदा अंकित करना होगा एवं फर्म का नाम भी अंकित किया जावे।

4- निविदादाता के पक्ष में संयुक्त श्रम आयुक्त/सक्षम अधिकारी से श्रम प्रावधानों के तहत लाइसेंस जारी होना आवश्यक हैं लेबर लाईसेंस की सत्यापित प्रतिलिपी कोटेशन, के साथ सलंग्न करना होगा। निविदादाता को लेबर लाईसेंस (अनुज्ञा पत्र की शर्तों की पालना करना आवश्यक होगा)

5- निविदाकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये विभिन्न श्रेणी के मानव संसाधन उस पद के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी होंगे, जिस श्रेणी का कार्य करने हेतु निविदा में पद विज्ञापित किये है एवं उन्हें नियोजित किया जाता है। तकनीकी पदो के लिए उस पद की विशेष तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है। नियुक्त किये जाने वाले कार्मिकों की शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्रमाण-पत्र कार्यालय में प्रथम समय उपस्थिति दिनांक के पूर्व प्रस्तुत करने होंगे। कार्मिक बदले जाने की दशा में उसी योग्यता के अन्य कार्मिक उपलब्ध करवाने होगे एवं उनकी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्रमाण-पत्र तत्समय प्रस्तुत करने होंगे।

6- निविदा में दर्शाई गई दरों में किसी प्रकार की कांट-छांट न की जावें। यदि कोई त्रुटि हो तो स्पष्ट रूप से अंकित कर अपने लघु हस्ताक्षर करें।

7- राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (जी एण्ड टी) के परिपत्र कमांक एफ 2(1) वित्त/एसपीएफसी/2017, दिनांक 30.04.2018 में वर्णित निर्देशों की अक्षरशः पालना का दायित्व संवेदक का होगा एंव उक्त सभी निर्देशः इस निविदा की शर्तों का भाग माने जायेगे।

8- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश निर्देश आदि प्रमावी रहेगें। उक्त निविदा प्रपत्र एवं **RTPP** अधिनियम 2012, नियम 2013 में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त अधिनियम व नियम के प्रावधान अधिभावी होगें।

9- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

10- राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संपूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

11- संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

12- श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

13- श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समम-समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/ बोलीदाता को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

14- संवेदक /बोलीदाता को राज्य /केन्द्र सरकार के नवीनतम दरों के अनुसार समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ., ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिक की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिक के **EPF, ESI** के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि से संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल /बिलो का भुगतान किया जायेगा।

15- संवेदक/बोलीदाता द्वारा कार्यस्थल पर Display Board लगायें जायेगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हेल्प लाइन नम्बर एवं संवेदक/बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

16- राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दयित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा। सफल निविदादाता को उपलब्ध कराये गये कार्मिको के ई.एस.आई. के दोनो अंशदान अर्थात् कार्मिक का (0.75 प्रतिशत) एवं नियोक्ता का (3.25 प्रतिशत) एवं इसी प्रकार ई.पी.एफ के दोनो अंशदान अर्थात् कार्मिक का (12 प्रतिशत) एवं नियोक्ता का (13 प्रतिशत) को नियमानुसार प्रतिमाह कार्मिकों के खाते में जमा कराना होगा। अगर यह दरें भविष्य में परिवर्तित होती है तो तदनुसार संवेदक को परिवर्तित दर से जमा कराना होगा।

17- संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

18- श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय≤ पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों आदि की पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमो, उपनियमों व अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

19- यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिको के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिए विकास समिति , राजकीय महाविद्यालय, मांगरोल बारां के सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

20- नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटानें, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन छटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

21- कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/ संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ ई. एस.आई. करवाने/ सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिए इस समिति की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

22- यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किये जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।

23- यदि इस कार्यालय द्वारा कार्य क़ी विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करता है, तो उक्त अतिरिक्त राशि का न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नही करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को दिया जायेगा। उक्तनुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

24- मानव संसाधन आवश्यकतानुसार उपापन करने पर संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारन्टी नही दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नही करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी नही होगा। कार्मिकों की संख्या में वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर पर आदेशित समय एवं स्थान पर निर्धारित योग्यतानुसार मानव संसाधन कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा। प्रत्येक कार्मिक को प्राचार्य/अध्यक्ष राज0 महाविद्यालय विकास समिति मांगरोल द्वारा मौखिक या लिखित रूप से निर्धारित/निर्देशित कर्तव्यों का संपादन करना होगा।

25- तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल बोली दाताओं/संवेदकों से दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में, अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में मानव संसाधन उपलब्ध करवाना, न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।

26- अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को इस दर संविदा कीमत से कम कीमत पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बोलीदाता अपनी कीमत/सर्विस चार्ज कम कोट करता है तो यह दर संविदा उरा दिनांक से कम दर पर तद्नुसार संशोधित की जायेगी।

27- इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत, निबंधनों और शर्तो पर उक्त वर्णित संविदा अवधि से अधिक कालावधि के लिए नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी यदि दर संविदा के अधीन योग्यतानुसार कार्मिक उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमतें इस कार्यावधि के दौरान गिर न गयी हो।

28- उक्त खुली दर संविदा वर्तमान में केवल अशैक्षणिक कार्मिको / मानव संसाधनों हेतु जारी की गई है। लेकिन यदि दर संविदा की अवधि में महाविद्यालय में अध्यापन, प्रशासनिक एवं सह–शैक्षणिक कार्यो को सम्पादित करने हेतु शैक्षणिक कार्मिकों / मानव संसाधनों या निविदा में वर्णित अशैक्षणिक कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के कार्मिकों की आवश्यकता भी किसी भी विषय/ विभाग में उत्पन्न होती है, तो यू.जी.सी. एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार एवं विकास समिति या प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, मांगरोल बारां द्वारा अनुमोदित समेकित दरो शर्तो एवं योग्यताओं के अनुसार शैक्षणिक कार्मिक/प्रशिक्षित मानव संसाधन भी संवेदक/ निविदादाता को उपलब्ध कराने होगें।

29- जब भी राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा EPF, ESI दरों में घटोतरी या बढोतरी या अन्य कोई परिवर्तन होगें, वो इस समिति को एंव सफल संवेदक को मान्य होगी एवं तदनुसार ही भुगतान संवेदक को किया जावेगा।

30- सभी भरी हुई निविदाएँ उक्त कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित दिनांक एवं समय 23.12.2024 को दोपहर 1:00 बजे के बाद प्राप्त निविदा/निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

31- सवंदेक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्मिक/मानव संसाधन द्वारा कार्यस्थल पर लैगिक भेदभाव या उत्पीडन करने/ अवैध गतिविधि या अनैतिक कार्य में संलिप्तता/अशिष्ट या दुर्व्यवहार करने/नशाखोरी करने/विकास समिति के

उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर तत्काल प्रभाव से हटा दिया जायेगा तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

32- उपलब्ध कराए गए कार्मिको / मानव संसाधन के चाल चलन एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

33- यदि संवेदक/ ठेकेदार के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कोई कार्मिक न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें राजकीय महाविद्यालय, विकास समिति मांगरोल बारां या राज्य सरकार को किसी भी रूप में पक्षकार बनाता है तो इस समिति या राज्य सरकार पर पडने वाला समस्त भार संवेदक/ ठेकेदार से वसूला जाएगा।

34- बोली की विधि मान्यता वित्तिय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

35- बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नही सोपेगा या भाडे (Sub-Let) पर नही देगा।

36- जिस बोली दाता की बोली स्वीकार की जायेगी। वह कार्यादेश जारी होने के 03 दिवस में निर्धारित योग्यता के आवश्यकतानुसार मानव संसाधन/विभिन्न श्रेणी के प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।

37- मूल्यांकन की कसौटी–तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाईड संवेदक/बोलीदाता की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तिय बोली /क्वालिफाईड बिड का मूल्यांकन किया जायेगा।

38- अगर दो या दो से अधिक संवेदकों की, न्यूनतम कीमत/सर्विस चार्ज/एल–1 पर समान दर रहती है तो, सफल संवेदक का अंतिम निर्धारण प्राचार्य निर्णय/लॉटरी के आधार पर किया जावेगा।

39- बोलियों का अपवर्जन :– RTPP अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

40- संवेदक द्वारा नियुक्त कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका महाविद्यालय में रखनी होगी जिसका सत्यापन महाविद्यालय विकास समिति द्वारा किया जायेगा।

41- कार्मिकों की निर्धारित योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र मय सत्यापित प्रतियों के महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

42- निविदा के किसी भी भाग/निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

43- सप्लाई कर्ता को उपलब्ध करवाये जाने वाले कार्मिकों के चरित्र प्रमाण–पत्र, फोटो पहचान पत्र मय स्थाई पता एवं मोबाइल नं. कार्यालय में उपलब्ध कराने होगें।

44- कार्यालय समय प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक रहेगा तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त समय पर कार्य करने के लिए आना होगा।

45- संवेदक द्वारा नियुक्त कार्मिकों को कोई अलग से अवकाश देय नहीं होगा। माह में 26 दिन का भुगतान किया जायेगा। माह में 26 दिन के आधार पर गणना की जायेगी।

46- कार्यादेश जारी करने की तिथि से एक वर्ष तक के लिये अनुबन्ध होगा जो आपसी सहमति से RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के नियमानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकेगा।

47- कार्मिको की संख्या में कमी या वृद्धि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

48- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

49- निविदा के किसी भी भाग अथवा सम्पूर्ण निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। जिसकी कोई क्षतिपूर्ति ठेकेदारों को देय नही होगी।

50- आयकर कटौती एवं जीएसटी कटौति नियमानुसार की जायेगी, इस हेतु पेन नम्बर एवं जीएसटी नंबर की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।

51- टेण्डर द्विभागीय होगा जिसमें तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड होगी। तकनीकी बिड में संलग्न चैक लिस्ट के अनुसार प्रलेख/प्रपत्र संलग्न करने होगें तकनीकी बिड में सफल संवेदकों की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

52- संवेदक को तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अलग–अलग सील बन्द लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी और दोनो बिडो को एक बडे लिफाफे में सील बन्द करके प्रस्तुत करना होगा।

53- अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों की पालना करनी होगी। किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर प्राचार्य / अध्यक्ष विकास समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। सफल निविदादाता द्वारा नियमानुसार /संतोषजनक सेवाऐं नहीं प्रदान पर प्राचार्य/अध्यक्ष विकास समिति को यह अधिकार को होगा कि वह निविदा प्रक्रिया में प्राप्त सभी सफल बोलियों में से द्वितीय/वैकल्पिक सफल निविदादाता का चयन कर उसे शेष अवधि के लिए मानव संसाधन उपापन निविदा जारी कर सकेगा।

54- संवेदक को कार्मिक सप्लाई के बिल प्रत्येक माह की 3 तारीख तक महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जिनका भुगतान प्राप्त होने के पश्चात् संवेदक सम्बन्धित कर्मचारियों को चैक के माध्यम से 03 दिवस में भुगतान कर, कर्मचारी को किये गये भुगतान की सूची मय चैक नम्बर/दिनांक एवं कर्मचारियों की गई कटौती राशि पीएफ. ईएसआई, GST को जमा करने के चालान के साथ प्रस्तुत करनी होगी तत्पश्चात् ही आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

55- भ्रमित करने वाली दरें मान्य नहीं होगी। सर्विस चार्ज की दरें केवल प्रतिशत में ही स्वीकार्य होगीं। रूपये/पैसों में अंकित दरें स्वीकार्य नहीं होगीं। इस बात का संवेदक विशेष ध्यान रखें।

56- समस्त दरें निविदा प्रपत्र में ही देनी होगी अन्य किसी प्रपत्र पर अंकित दरें मान्य नहीं होगीं।

57- राज्य सरकार द्वारा संशोधित दरों का भुगतान संवेदक द्वारा आवेदन किये जाने पर, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त, संशोधित दरों से भुगतान किया जायेगा।

58- जॉब बेसिस कार्यो हेतु भेजे जाने वाले कार्मिक सफल निविदादाता के ही कार्मिक कहलायेगे तथा उनके पारिश्रमिक के भुगतान के लिए सफल निविदादाता ही पूर्ण उत्तरदायी होगा। एवं उसके भेजे जाने वाले कार्मिको के बीच भुगतान के किसी भी विवाद के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नही होगा।

59- जॉब बेसिस कार्य हेतु कार्यरत कार्मिक पूर्णतया अस्थायी तौर पर रहेगें तथा निश्चित शर्तो के अनुसार कार्य करने/नही करने पर पुनः विचार कर निविदा अवधि को बढाने/घटाने का अधिकार प्राचार्य/ अध्यक्ष को होगा।

60- <u>बोली प्रतिभूति का समपहरण</u> (Forfeiture of Bid Security)

बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा।

(क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नही करता है।

(ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नही कराता है।

(घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में निर्धारित योग्यता के आवश्यकतानुसार मानव संसाधन कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नही करता है।

(ड) यदि बोली लगाने वाला RTPP अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वाले के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

61- <u>करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति</u> :–

(अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्त्ति हेतु सफल बोलीदाता को नियत अवधि में नियमानुसार सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमांड ड्राफ्ट /बैंकर्स चैक, जो कि मांगरोल बारां शाखा में देय हो, राजकीय महाविद्यालय विकास समिति, मांगरोल बारां के नाम पर जमा करानी होगी एवं निविदादाता को अपने खर्चे पर निर्धारित प्रपत्र में 500/–रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अन्तर्गत करार पत्र निष्पादन करना होगा एवं उसकी मूल प्रति निःशुल्क उक्त कार्यालय को देनी होगी।

(ब) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।

62- <u>कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (**Forfeiture of work performance security deposit**)</u> :–
कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोली दाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढ़ंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोली दाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अन्तिम होगा।

63- <u>भुगतान</u> :– (अ) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह के बिल का भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में बिल प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

64- परिनिर्धारित क्षति (Liquidate Damage) परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामलों में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है।

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए – 2.5 प्रतिशत।

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक, किन्तु विहित अवधि की आधी से अनधिक के लिए– 5 प्रतिशत ।

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई से अनधिक के लिए – 7.5 प्रतिशत

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए – 10 प्रतिशत

(ड) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।

(च) यदि बोलीदाता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरी करने के लिए समय मे वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए आवदेन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(छ) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न बाधा बोलीदाता के नियंत्रण के परे के कारणों से हुई है तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

65- निविदा प्रपत्र के निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या/सन्देह हो तो अध्यक्ष/सचिव, विकास समिति से कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है, एंव निविदा प्रपत्र शर्ते एंव संविदा के निर्वचन के संबंध में अंतिम निर्णय प्राचार्य/अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय, विकास समिति मांगरोल बारां का मान्य होगा।

66- भुगतान पर नियमानुसार करों कि स्त्रोत पर कटौती की जावेगी

67- किसी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय, विकास समिति, मांगरोल बारां का निर्णय अन्तिम होगा व संवेदक को मान्य होगा।

68- किसी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मांगरोल बारां होगा।

69- अगर भविष्य में राज्य सरकार के किसी आदेश/परिपत्र से राजकीय महाविद्यालय, मांगरोल बारां का अस्तित्व प्रभावित होता तो इस संविदा के जारी रहने/परिर्वतन/समाप्त करने के सम्बंध में अंतिम निर्णय प्राचार्य/अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय, विकास समिति मांगरोल बारां का होगा और वह सफल संवेदक को मान्य होगा।

70- बजट घोषणा सत्र 2024–24 कं बिन्दु संख्या 159 की अनुपालना मे राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विसेज डिलिवरी कॉपोरेशन **(RLSDC)** के गठन होने पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2021 से पूर्व के कार्यरत ठेकाकर्मियों को नवगठित सरकारी कंपनी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सीधे ही लिया जाकर बिना किसी कटौती के पूर्ण **wages** प्राप्त हो सकेगें। अतः सफल संवेदक के साथ उक्त निविदा की अवधि, निर्देशानुसार **RLSDC** के गठन होने तक/इस निविदा की अवधि पूर्ण होने तक (इन दोनो मे से जो भी पूर्व हो) रहेगा। इस संबध मे राज. विकास समिति एवं राज्य सरकार का जो भी निर्णय होगा वह संवेंदक को मान्य होगा।

71- एजेंसी द्वारा चौकीदार लगवाने पर अनुबंध के दौरान नुकसान/चोरी होने की स्थिति में अनुबंध अवधि के दौरान परिसम्पत्ति को कोई क्षति/चोरी/ दुर्घटना होने पर उसका उत्तरादायित्व सेवा प्रदाता एजेंसी का होगा।

72- वित्त विभाग (G&T) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1) वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04. 2018 के अनुसार प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से मानव संसाधन का उपापन नहीं किया जायेगा, अतः प्लेसमेंट एजेन्सी इस उपापन हेतु पात्र नहीं होगी।

73- उपरोक्त मानव संसाधन आपूर्ति कार्य से सम्बन्धित समस्त शर्ते (शर्त सं. 1 से 72 तक) मैने पढ़ एवं समझ ली है तथा मुझे स्वीकार है।

अध्यक्ष
राजकीय महाविद्यालय, विकास समिति,
मांगरोल बारां

उपरोक्त शर्ते (शर्त सं. 1 से 72 तक) स्वीकार है।
बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम ....

पता ....

कार्यादेश जारी होने पर बोलीदाता द्वारा निम्नानुसार विवरण समय–समय पर प्रस्तुत करना होगा।

मानव संसाधन का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं. सं.	नाम	पिता का नाम	योग्यता शैक्षणिक / तकनीकी	EPF NO.	ESI NO.	परिचय पत्र (आधार कार्ड नं.)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

नोट : संवेदक को उपलब्ध कराये गये समस्त मानव संसाधनों / कार्मिकों का विवरण ऊपरवर्णित प्रारूप में देना होगा तथा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों / मानव संसाधनों की ऊपरवर्णित समस्त योग्यताओं एवं विवरणों से संबन्धित एक –एक सत्यापित फोटोप्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम मय संस्थान सील

घोषणा– पत्र

खुली निविदा सूचना संदर्भ : रा.म.मांगरोल बारां /स्था/2024/9313 दिनांकः 13.12.2024 (खुली निविदा सूचना संख्या : 01/2024–25) की समस्त जानकारी / शर्तो का मैने/हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। मैं/ हम यह प्रमाणित करते है कि मैं/ हम उक्त कार्यों हेतु रजिस्टर्ड है। वास्तव में खुली बोली में चाहा गया व्यवसाय मेरे/ हमारे द्वारा किया जाता है तथा वांछित मानव संसाधन उपलब्ध है।

तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता के नियम 39 के अनुसार हमारी फर्म/ प्रतिष्ठान को पूर्व में किसी भी विभाग / राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार या इस उपापन संस्था से पात्रता के लिये विवर्जित (Debarred) / ब्लैक लिस्टेड घोषित नही किया गया है। उक्त घोषित पूर्ण सत्य एवं सही है ।

तथा यह घोषित अथवा अन्य कोई भी कथन असत्य पाया जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/ हमारी बोली प्रतिभूति /कार्यनिष्पादन प्रतिभूमि को पूर्ण रूप से जब्त किया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय संस्थान सील

अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय, विकास समिति, मांगरोल बारां

वित्तीय बोली प्रपत्र

बोलीदाता का नाम : ....

मोबाइल नं. :..

पता : ....

कार्य का विवरण : मानव संसाधन उपापन

निविदा सूचना संदर्भ : रा.म.मांगरोल बारां /स्था/2024/2213 दिनांकः 13.12.2024 (खुली बोली सूचना संख्या : 01/2024–25)

क्रं. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नही होगी। मय संख्या			EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि, (कॉलम संख्या 4 में वर्णित राशि पर)	कुल राशि
		श्रमिक की श्रैणी	न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिमाह / प्रति व्यक्ति (रूपये)	श्रमिकों की संख्या (अनुमानित)	राशि		नोट : 0% (शून्य प्रतिशत) एवं ऋणात्मक सर्विस चार्ज की अनुमति नही है।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर	उच्च कुशल	नियमानुसार	आवश्यकतानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार		
2	प्रयोगशाला परिचायक	कुशल	नियमानुसार	आवश्यकतानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार		
3	चौकीदार	अकुशल	नियमानुसार	आवश्यकतानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार		
4	सफाईकर्मी	अकुशल	नियमानुसार	आवश्यकतानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार		
5	आवश्यकतानुसार अन्य कार्मिक		नियमानुसार	आवश्यकतानुसार	नियमानुसार	नियमानुसार		

नोट : बोलीदाता वित्तीय बोली पृथक लिफाफें में सीलबंद कर एवं उक्त लिफाफें पर वित्तीय बोली अंकित करें।

1- उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1 से 7 की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा स्तम्भ संख्या 8 में ही बोलीदाता द्वारा राशि अंकित की जायेगी।

2- **बोलीदाता द्वारा शून्य प्रतिशत एवं ऋणात्मक सर्विस चार्ज राशि भरने पर निविदा को प्रथमदृष्टया निरस्त कर दिया जायेगा।**

3- **भ्रमित करने वाली दरें मान्य नहीं होगी। सर्विस चार्ज की दरें केवल प्रतिशत में ही स्वीकार्य होगीं। रूपये/पैसों में अंकित दरें स्वीकार्य नहीं होगीं। इस बात का संवेदक विशेष ध्यान रखें।**

4- संवेदक/बोलीदाता को श्रमिकों की देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त देय होगी।

5- बोलीदाता को श्रम विभाग के द्वारा निर्धारित नवीनतम न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कार्मिकों को करना होगा।

6- EPF एवं ESI की दरों में केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा घटौतरी या बढोतरी किए जाने पर तदनुसार भुगतान इस समिति द्वारा संवेदक को किया जायेगा।

7- खुली बोली सूचना संख्या – 01/2024–25 दिनांक 13.12.2024 जो कि अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय, मांगरोल बारां द्वारा SPPP पोर्टल एंव महाविद्यालय वेबपेज पर भी जारी की गई है, में वर्णित सभी शर्तो की पालना के लिए मै/हम सहमत है, तथा उक्त बोली सूचना की अन्य शर्त सं0 1 से 72 तक जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है, जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप मैने/हमने हस्ताक्षर कर दिये है का भी पालन करने के लिए हम सहमत है।

8- संवेदक को ऊपरवर्णित भुगतानों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान नही किया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय संस्थान सील

प्रमाण पत्र/वचन पत्र

मैं / हम राजकीय महाविद्यालय, मांगरोल बारां द्वारा जारी की गई बोली सूचना क्रमांक 01/2024–25 दिनांक 13.12.2024 को वर्णित समस्त शर्तो तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तो की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये है) मैं/हम दी गई समस्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते है साथ ही इस बात पर भी सहमती देते है कि मेरे / हमारे द्वारा बोली के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक / मौलिक रूप से सही है। यदि बोली प्रक्रिया या बोली प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावोजों का प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूँगा एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बोली/अनुबंध को निरस्त करने, मेरे/हमारे विरूद्ध कानून/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा। हमारी फर्म को किसी भी राजकीय विभाग द्वारा विगत तीन वर्षो के दौरान कार्यबाधित/कालीसूची में घोषित नहीं किया गया है।

मैं/हम <u>मानव संसाधन उपापन</u> हेतु आंमत्रित प्रस्ताव की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ/करते है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर,
नाम मय संस्थान सील
(पत्राचार का पूर्ण पता)

....

....

दूरभाष नं.

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No............... Dated.............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Doc1